



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग-3), शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone : 0141-2227956, 2227170 E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)



क्रमांक: एफ 40(143)ग्रावि/नरेगा/WHS/2023/RK-

जयपुर, दिनांक :

15 MAY 2023


जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर, समस्त।

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक जलसंग्रहण ढांचे (वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर) का निर्माण करवाये जाने बाबत।

प्रसंग :- माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं परावि द्वारा बजट 2023-24 की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान की गई घोषणा।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं परावि द्वारा बजट 2023-24 की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान घोषणा की गई है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक जलसंग्रहण ढांचे (वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर) का निर्माण करवाया जायेगा। इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये जाते हैं -

1. जिले में वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित जलसंग्रहण ढांचे (वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर) के कार्यों की शीघ्र नियमानुसार स्वीकृतियाँ जारी की जावे। स्वीकृति की कार्यवाही दिनांक 30.05.2023 से पूर्व कर ली जावे।
2. वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक कार्य योजना में से प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में कम से कम एक जलसंग्रहण ढांचे (वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर) का निर्माण करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
3. निजी एवं सामुदायिक भूमि पर जलसंग्रहण ढांचों के तहत एनिकट, अर्दन डेम, विभिन्न चैकडेम, डिग्गी, टांका, फार्म पौण्ड, खड़ीन, नाड़ी, तालाब, जोहड़ आदि के विकास कार्य करवाये जा सकते हैं।
4. निर्मित किये जाने वाले जलसंग्रहण ढांचों (वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर) के साथ वानिकी/फलदार पौधारोपण के कार्य भी आवश्यकतानुसार लिए जा सकते हैं।
5. साथ ही जलसंग्रहण ढांचे (वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर) निर्माण कार्य हेतु समय-समय पर विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
6. जलसंग्रहण ढांचे (वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर) निर्माण के जिलेवार लक्ष्य परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।


(शिवांगी स्वर्णकार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
7. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद, समस्त।



अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस

जलसंग्रहण ढांचों (वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर) के जिले वार लक्ष्य

क्र स	जिला	ग्राम पंचायतों की संख्या	लक्ष्य (संख्या)
1	अजमेर	325	325
2	अलवर	561	561
3	बांसवाडा	417	417
4	बारां	232	232
5	बाडमेर	688	688
6	भरतपुर	400	400
7	भीलवाडा	397	397
8	बीकानेर	366	366
9	बूंदी	184	184
10	चित्तौडगढ	299	299
11	चूरु	304	304
12	दौसा	284	284
13	धौलपुर	188	188
14	इंगरपुर	353	353
15	हनुमानगढ	268	268
16	जयपुर	586	586
17	जैसलमेर	206	206
18	जालौर	306	306
19	झालावाड	254	254
20	झुन्झरू	336	336
21	जोधपुर	618	618
22	करौली	241	241
23	कोटा	156	156
24	नागौर	498	498
25	पाली	341	341
26	प्रतापगढ	234	234
27	राजसमंद	214	214
28	सवाईमाधोपुर	226	226
29	सीकर	373	373
30	सिरोही	170	170
31	श्री गंगानगर	344	344
32	टोंक	236	236
33	उदयपुर	647	647
	योग	11252	11252